



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक विविध ज़मानत अर्जी संख्या - 42595 वर्ष 2025

फहीम

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

....विपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	:	सैयद फैज़ हसनैन
विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय कक्ष संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सैयद फैज़ हसनैन तथा राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अरिमर्दन यादव को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान ज़मानत अर्जी, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 483 के अंतर्गत, आवेदक फहीम की ओर से इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है कि उसे, पुलिस थाना कुंदरकी, जिला मुरादाबाद में पंजीकृत, 'उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986' की धारा 2/3 के अंतर्गत दर्ज 'केस क्राइम संख्या 321, वर्ष 2025' में, विचारण के लंबित रहने के दौरान ज़मानत पर रिहा किया जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे किसी दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के कारण इस मामले में झूठा फंसाया गया है। अनुलग्नक संख्या 2 के रूप में संलग्न 'गैंग-चार्ट' में केवल एक ही मामला दर्शाया गया है, और उस मामले में भी आवेदक ज़मानत पर है।

आगे यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक किसी गिरोह का सदस्य, सरगना अथवा आयोजक नहीं है; और न ही उसने अधिनियम की धारा 2 के खंड (b) में वर्णित किसी गिरोह की गतिविधियों में कोई दुष्प्रेरण या सहायता की है। उपर्युक्त मामले के अतिरिक्त, आवेदक का

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आपराधिक इतिहास दस अन्य मामलों का है। इसके अतिरिक्त यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक के न्यायिक प्रक्रिया से भाग जाने अथवा गवाहों के साथ छेड़छाड़ करने की भी कोई संभावना नहीं है। आवेदक, जो दिनांक 11.11.2025 से जेल में निरुद्ध है, यह वचन देता है कि यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह इस स्वतंत्रता का कोई दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में मामलों के भारी लंबित होने के कारण, मुकदमे के शीघ्र निपटारे की कोई संभावना नहीं है।

इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन उन्होंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिखाए गए मामलों के अलावा आवेदक के खिलाफ कोई अन्य मामला नहीं बताया है।

तथ्यों की समग्रता, मामले की प्रकृति और रिकॉर्ड से सामने आए सबूतों पर विचार करने के बाद,

और साथ ही अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला मानता हूँ। अतः, वर्तमान जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

आवेदक, **फहीम** को, उपरोक्त केस क्राइम नंबर में जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, उतनी ही राशि का एक व्यक्तिगत मुचलका और दो विश्वसनीय जमानतदार पेश करे, और निम्नलिखित शर्तों का पालन करे-

- (i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने बताने से रोका जा सके, या सबूतों के साथ छेड़छाड़ न की जा सके।
- (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं।
- (iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष उन तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जो (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप तय करने, और (iii) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत

बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित की गई हैं।

(iv) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र प्रस्तुत करेगा कि वह सबूतों के लिए निर्धारित तारीखों पर, जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं मांगेगा।

(v) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष निर्धारित प्रत्येक तारीख पर, या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत याचिका के

निर्णय के उद्देश्य तक सीमित है, और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर व्यक्त की गई राय के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय, इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, प्रस्तुत सबूतों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्षों पर पहुँचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा।

14 जनवरी, 2026

श्रीवास्तव

न्यायमूर्ति श्री आशुतोष